भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4833

जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

4833. श्री सुधाकर सिंहः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि और अन्य विशेष निधियों जैसी विभिन्न विकास निधियों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष खर्च की गई राशि का वर्ष-वार समेकित रिकार्ड क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान नाबार्ड विकास निधि में स्वीकृत और वास्तव में खर्च की गई निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि अवसंरचना और आजीविका जैसे क्षेत्रों का व्यापक ब्यौरा क्या है जहां उक्त निधि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान नाबार्ड की विभिन्न निधियों अर्थात ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ), सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ), खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ), वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (डब्ल्यूआईएफ), नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए) के अन्तर्गत स्वीकृत और संवितरित राशि के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग): उपर्युक्त निधियों का उपयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विकास के लिए किया जा रहा है। इन निधियों के क्षेत्रवार लाभों के संबंध में विस्तृत सूचना निम्नानुसार है:

- आरआईडीएफ के अंतर्गत अब तक कुल 7,94,537 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें लघु/वृहद सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, स्कूल, अस्पताल आदि जैसी कार्यकलाप शामिल हैं।
- एलटीआईएफ के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता से 26.84 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के निर्माण की सुविधा प्राप्त हुई है।
- एमआईएफ के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता ने सूक्ष्म सिंचाई कवरेज का विसतार 23.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक कर दिया है।
- डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत वित्तपोषित कार्यकलापों में गोदाम, साइलो, कृषि-लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन कार्यकलाप जैसे प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वायुमंडल (सीए) भंडार, रीफर वैन, बल्क कूलर, व्यक्तिगत रूप से क्विक फ्रोजन (आईक्यूएफ) यूनिट्स, चिलिंग इन्फार्स्टक्सच आदि सहित कृषि उत्पादों के लिए विभिन्न भंडारण अवसंरचना शामिल हैं।
- एनआईडीए के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता से सिंचाई द्वारा 78.4 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र और लघु सिंचाई के माध्यम से 1.4 लाख हेक्टेयर को कवर किया गया है, सड़कों की लंबाई में 37,080 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 3.4 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का निर्माण हुआ है और 1500 स्कूलों और 84 जिला अस्पतालों की स्थापना की गई है।

अनुबंध

"ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि " के संबंध में दिनांक 23.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4833 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार के ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण
आंध्र प्रदेश	1793.60	1360.57	2765.89	1650.52	2578.44	2000.00	2608.30	2000.00	1854.54	700.00
अरुणाचल प्रदेश	347.75	251.71	453.84	295.14	404.24	348.70	483.69	500.00	482.27	500.00
असम	1148.81	1236.18	2099.50	1375.15	2988.54	2122.07	3228.53	2505.57	3043.03	3048.11
बिहार	2394.40	2116.01	3090.07	2400.00	2399.83	1329.07	2496.45	1933.76	1910.28	1944.47
छत्तीसगढ	1346.54	921.98	1578.22	1104.27	1784.06	1210.50	1777.71	1505.14	1352.05	942.03
गोवा	344.30	250.00	505.51	451.11	499.95	336.15	553.75	449.27	597.20	582.78
गुजरात	2989.77	2427.32	3245.50	2186.18	3597.16	2949.06	4041.75	3638.04	3142.74	3288.01
हरियाणा	1129.60	1029.81	1886.76	1410.01	1888.69	1202.68	1875.03	1431.17	1389.49	1904.23
हिमाचल प्रदेश	842.06	663.53	1132.93	699.98	912.17	839.34	918.81	796.49	1011.77	849.99
जम्मू एवं कश्मीर	786.95	319.07	1542.07	533.18	1395.30	680.00	1453.19	841.15	937.26	822.40
झारखंड	2026.08	1558.31	2305.25	1594.00	2146.21	1515.20	2260.69	1870.45	1988.38	2015.01
कर्नाटक	1070.31	1117.48	2084.21	1354.51	1979.34	1367.76	2012.51	1727.50	2242.11	2408.11
केरल	519.43	569.14	662.88	507.17	692.95	566.62	714.58	551.24	762.16	657.47
मध्य प्रदेश	2758.50	2260.24	3035.80	2785.44	3614.71	2929.18	3820.54	3419.00	3568.06	3617.88
महाराष्ट्र	1306.85	1245.32	1502.96	1364.70	1721.14	1708.26	1452.51	1489.59	2477.17	1819.29
मणिपुर	139.29	15.67	202.75	159.22	208.00	194.00	139.84	142.08	61.26	63.85
मेघालय	209.55	173.29	250.16	170.00	256.20	198.00	206.02	200.00	169.94	235.18
मिजोरम	266.35	151.86	310.94	126.59	257.26	198.53	255.84	225.34	178.91	254.65
नगालैंड	27.53	23.47	5.55	17.55	22.51	18.83	47.21	35.78	30.38	44.63
ओडिशा	3234.25	2732.75	4013.40	3031.17	3549.86	3361.16	3626.66	3549.05	3386.66	3836.32
पुदुचेरी	55.36	7.36	0.00	24.11	116.47	50.25	71.14	93.05	177.37	100.27
पंजाब	563.66	600.00	820.24	764.93	907.13	786.96	922.62	635.96	742.14	800.00
राजस्थान	1686.94	1813.72	2543.47	2205.85	2405.49	2305.53	2478.99	2114.38	2712.07	2340.00
सिक्किम	51.06	70.77	145.00	68.00	173.63	71.00	117.74	68.53	52.65	60.00
तमिलनाडु	2412.26	1963.50	2882.50	2380.39	3115.71	2227.10	3257.32	3013.25	3328.91	3829.73
तेलंगाना	1140.02	703.18	1513.19	1320.91	1339.71	1304.94	1449.24	1000.00	0.00	668.81
त्रिपुरा	304.46	311.23	410.39	397.16	496.98	500.00	1050.67	550.00	750.01	650.00
उत्तर प्रदेश	1682.76	1708.55	1901.36	1511.82	2628.19	2355.06	3535.78	3250.00	2557.04	2302.73
उत्तराखंड	429.81	526.30	525.28	587.38	777.72	616.35	907.72	754.89	826.11	787.29
पश्चिम बंगाल	1567.36	1065.17	2084.09	1406.76	2116.56	2024.44	2200.10	2273.26	1904.42	1640.69
कुल	**34575.61**	**29193.5**	**45499.72**	**33883.2**	**46974.13**	**37316.8**	**49964.91**	**42563.9**	**43636.35**	**42713.9**

(ख) दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण
असम	116.01	108.10	-	-	-	-	-	7.91	-	-
गोवा	-	-	48.89	48.89	161.06	161.05	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	-	-	502.34	250.00	-	252.34
मध्य प्रदेश	-	85.15	-	233.50	-	340.61	-	46.50	-	100.62
महाराष्ट्र	-	1115.93	-	1031.30	-	2000.00	-	1730.11	-	658.59
मणिपुर	-	158.32	-		-		-	-	-	-
ओडिशा	2.16	608.33	-	192.58	-	537.43	-	557.49	-	429.54
राजस्थान	109.39	87.62	-	60.78	-	30.00	-	13.13	-	-
उत्तर प्रदेश		1441.45	-	878.12	-		-	-	-	-
कुल	**227.56**	**3604.90**	**48.89**	**2445.17**	**161.06**	**3069.10**	**502.34**	**2605.14**	**-**	**1441.09**

(ग) सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृति और संवितरण के ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण
आंध्र प्रदेश	-	616.13	-	-	-	-	-		-	-
गुजरात	-	252.30	-	44.49	-	77.25	-	193.44	-	73.81
हरियाणा	687.56	21.57	-	24.76	-	24.62	-	281.91	-	13.03
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	290.33	110.23	-	49.63
पंजाब	149.65	-	-	5.06		13.04	-	14.04	-	
राजस्थान	-	-	-	-	740.79	78.87	-	271.59	-	115.21
सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	937.47	-	181.94		238.52	-	-	-	-
उत्तराखंड	4.81	-	-	-	-	-	-	0.58	-	-
कुल	**842.02**	**1827.47**	**0.00**	**256.25**	**740.79**	**432.30**	**290.33**	**871.78**	**0.00**	**251.68**

(घ) खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) के अन्तर्गत स्वीकृति और संवितरण के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

(करोड़ रू. में)

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण
आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	9.97	-	-	-
असम	-	6.90	3.54	7.11	-	-		-	-	-
छत्तीसगढ़	-	1.43				2.02		-	-	-
गुजरात	15.00	10.87	35.55	15.28	10.98	12.24	55.00	25.60		12.51
हरियाणा	-	7.46		32.40		18.34		7.71		
हिमाचल प्रदेश	7.28	-	11.70	5.00		0.02	-	-	-	-
कर्नाटक	11.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	4.25	5.60	10.00	6.32	-	-	-		-	-
महाराष्ट्र	-	1.37	-	7.49	9.26	3.21	-	9.26	-	-
मणिपुर	-	6.00	-	-	-	6.00	-	-	-	-
मेघालय	-	-	4.30	-	-	2.00	-	-	-	2.30
तमिलनाडु	68.10	13.61	37.69	37.72	334.00	97.95	-	63.74	-	46.64
तेलंगाना			3.83			-	-		-	-
कुल	**116.49**	**53.24**	**106.61**	**111.32**	**354.24**	**141.78**	**64.97**	**106.31**	**0.00**	**61.45**

(ड़) वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (डब्ल्यूआईएफ) के अन्तर्गत स्वीकृति और संवितरण के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण
असम	-	8.07	-	10.80	-	3.70	-	20.56	-	-
छत्तीसगढ़	-	12.86	-	-	-	-	-		-	-
गुजरात	-	48.19	-	8.10	-	0.01	-	0.43	-	-
हरियाणा	-	27.54	-	76.86	56.40	25.41	-	49.96	-	7.50
कर्नाटक	-	201.65	-	209.18	-	46.07	-		-	-
केरल	-	0.83	-	2.55	-	5.33	-	2.71	-	-
मध्य प्रदेश	200.07	40.00	-		-	29.20	-	33.90	-	-
मिजोरम	-	18.15	-	23.41	68.92	21.46	-	18.56	-	20.24
पंजाब	-	11.42	-	10.39	-	15.83	-	96.63	-	
राजस्थान	-	13.00	-	54.01	-	18.69	14.40	5.00	-	7.04
तमिलनाडु	-	331.89	-	104.04	284.90	206.16	77.89	104.74	23.61	71.57
तेलंगाना	-	19.73	-	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा	-	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	82.62	-	17.84	-	4.15	-	-	-	-
उत्तराखंड	-	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	91.53	-	76.43	-	84.92	-	34.76	-	-
कुल	**200.07**	**909.08**	**0.00**	**593.61**	**410.22**	**460.93**	**92.29**	**367.25**	**23.61**	**106.35**

(च) नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए) के अंतर्गत स्वीकृति और संवितरण के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

(करोड़ रू. में)

राज्य	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण	स्वीकृति	संवितरण
आंध्र प्रदेश	1158.53	709.48	-	635.55	-	237.29	1003.94	41.27	967.38	6.45
असम	-	-	5489.93	238.63	515.17	852.60	5365.59	1834.27	-	1125.16
छत्तीसगढ	792.44	792.44	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा	64.87	21.77	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-			2100.00	387.75	-	491.68	2500.00	614.76
हरियाणा	187.91	85.92	-	63.96	-	100.50	1850.00	119.71	-	79.10
हिमाचल प्रदेश	-	-	39.80	-	-	-	-	-	-	-
झारखंड	-	-	-	-	-	97.39	-	-	-	-
कर्नाटक	2629.00	2.01	-	-	-	-	-	1362.27	1495.70	2516.00
केरल	1061.73	8.28	-	800.00	678.00	331.58	-	-	6530.18	4273.35
मध्य प्रदेश	4339.55	978.60	-	287.77	-	1344.56	-	247.71	-	413.05
महाराष्ट्र	-	999.49	-	721.99	-	-	-	619.18	4980.76	1059.90
पंजाब	-	-	-	-	-	-	650.00	650.00	2568.31	54.86
राजस्थान	496.86	179.58	-	-	288.54	269.06	943.15	147.63	5377.26	918.17
सिक्किम	-	83.50	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	6529.32	594.19	-	1500.28	-	1606.62	-	1608.12	-	594.34
तेलंगाना	5298.63	2928.01	2051.14	2628.18	-	997.40	-	148.00	-	-
उत्तराखंड	-	10.32	-	5.55	-	3.32	121.71	0.16	1178.88	-
पश्चिम बंगाल	208.91	112.48	544.40	254.33	-	101.40	-	33.96	667.84	213.00
कुल	**22767.75**	**7506.08**	**8125.27**	**7136.26**	**3581.71**	**6329.48**	**9934.40**	**7303.96**	**26266.31**	**11868.15**
